संख्या: 33/2017/2413/12-2-2017-60(6)/2017

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 17 जुलाई, 2017

विषय: प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण मोचन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर संस्थागत वित्त, कर निबंधन अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या- 540 बी/क0नि0-6-2017-01(बी)/2017 दिनांक 24 जून, 2017 एवं शासनादेश संख्या: 565 बी/क0नि0-6/2017 दिनांक 30 जून, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेशों में कृषकों के फसली ऋण मोचन योजना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. जैसा कि आप अवगत हैं कि लघु एवं सीमान्त कृषकों का ऋण मोचन योजना के संबंध में वर्तमान में संबंधित बैंक शाखाओं को जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत किसानों का डाटा प्रेषित किया गया है। वर्तमान में उक्त डाटा में कृषकों के आधार नं0 से उनके बैंक एकाउण्ट से लिंकेज का कार्य तथा भू-लेख मैपिंग प्रगति पर है।

3. जैसा कि आप भिज्ञ हैं कि प्रश्नगत ऋण मोचन योजना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है और इस योजना को समयबऋ रूप से पूर्ण किया जाना है। अत: इसके लिए आवश्यक है कि मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी अपने अपने स्तर पर योजना के क्रिन्यांवयन प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा करते रहें। इस संबंध में यदि कोई समस्या प्रकाश में आती है तो यथासम्भव स्थानीय स्तर पर उसका तत्काल निदान किया जाय। पोर्टल संबंधी किसी प्रकार की समस्या आने पर एन0आई0सी0 के अधिकारियों/नियंत्रण कक्ष से सीधे सम्पर्क स्थापित कर समस्या का निदान कराया जाय। सुलभ संदर्भ हेतु एन0आई0सी0 के अधिकारियों का मोबाइल नं0 निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम	पदनाम	मोबाइल नं0
1	श्री सौरभ गुप्ता	(एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0) योजना भवन, लखनऊ-	9454028822
2	श्री राजेश कुमार गंगल	तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ	9412733668
	तकनीकी नियंत्रण कक्ष	एन0आई0सी0, लखनऊ	0522-2235855 2253875 2235876 2235892

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 33/2017/2413(1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री सौरभ गुप्ता, एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।